रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2009/फाल्गुन 18, 1930

No. 424] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2009/PHALGUNA 18, 1930

## पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2009

**का.आ. 651 (अ).**— केन्द्रीय सरकार जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 और धारा 5 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की तारीख 27 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1621(अ) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) क्रम सं. 1 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"1. डॉ. संत प्रसाद गौतम —अध्यक्ष"
अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
परिवेश भवन, दिल्ली

(ii) क्रम सं. 4 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"4. संयुक्त सचिव (प्रदूषण नियंत्रण), —सदस्य"
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
नई दिल्ली

(iii) क्रम सं. 17 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"17. श्री जे एस कम्योत्रा —सदस्य सचिव"
अपर निदेशक,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
दिल्ली

[सं. क्यू.-15014/2/2003-सी पी डब्ल्यू]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी :**—केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन करने वाली मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, संख्या सा.का.नि. 99(अ), तारीख 21 सितम्बर, 1974 के तहत प्रकाशित की गई थी। मौजूदा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पुनःगठित करने वाली अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या का.आ. 1621(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् का.आ. 859(अ), तारीख 1 जून, 2007 द्वारा संशोधित की गई।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2009

**S.O. 651(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 and sub-section (6) of Section 5 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1621 (E), dated the 27th September, 2006, namely:—

In the said notification ,—

(i) for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely.—

"1. Dr. Sant Prasad Gautam —Chairman"
Chairman, Cental Pollution
Control Board,
Parivesh Bhavan, Delhi

(ii) for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

"4. Joint Secretary (Control of —Member"
Pollution)

Ministry of Environment and Forests,
New Delhi.

(iii) for serial number 17 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

"17. Shri J.S. Kamyotra, —Member-Secretary"
Additional Director
Central Pollution
Control Board,
Delhi.

[No. Q-15014/2/2003-CPW]
RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

**Note :**—The principal notification constituting the Central Pollution Control Board was published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 998(E), dated 21 September, 1974. The notification reconstituting the existing Central Pollution Control Board was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 1621(E), dated the 27th September, 2006 and subsequently amended *vide* number S.O. 859 (E) dated the 1st June, 2007.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.